

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

॥ आदेश ॥

प्रार्थी के "खाता नुस्तरी" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भोरचतपुरा  
 भू अभिलेख निरीक्षक चित्तम्बा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बागलगा पटवार हल्का भोरचतपुरा  
 तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2024-27 में खाता  
 संख्या 406 में वर्तमान वर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड  
 में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	<u>बागलगा</u>	<u>खण्ड नं. 406</u>	<u>आ.नं. 763/496</u> <u>रकबा 1.2646 हे०</u> <u>मोटे पर हकीम</u> <u>पुरानी करेड़े हे०</u>	<u>तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट</u> <u>अनुसार ग्राम बागलगा में</u> <u>खसरा नं. 496 में नुस्तरी</u> <u>शुद्ध दिये जाने के आदेश</u> <u>दिये जाते हैं।</u>

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 दिनांक:- 27/12/22

क्रमांक/न्यायालय/2022/354

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री सुभाष सिंह पिता श्रीरामा सिंह

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 सहायक कलेक्टर करेड़ा